छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–21/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 03/11 /2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.075 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–834/1656, रायपुर दिनांक 10.09.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–834/1854,रायपुर दिनांक 19.10.2020।

–––000–––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालोद	बालोद	बालोद	बालोद	आरक्षित वन	99	2326.6	0.5	0.116
2			बालोद	रानीतराई	आरक्षित वन	96	2666.112	0.5	0.133
3			बालोद	दैहान	आरक्षित वन	92	1572.45	0.5	0.079
4			डौण्डी	ढोरिठेमा	आरक्षित वन	122	2400.195	0.5	0.12
5			डौण्डी	बम्हनी	आरक्षित वन	155	967.835	0.5	0.048
6			डौण्डी	बम्हनी	आरक्षित वन	157	1350.474	0.5	0.068
7			डौण्डी	कोटागांव	आरक्षित वन	137	296.233	0.5	0.015
8			डौण्डी	कुमुडकट्टा	आरक्षित वन	152	755.754	0.5	0.038
9			डौण्डी	मरदेल	आरक्षित वन	131	691.655	0.5	0.035
10			डौण्डी	दिघ्वादी	आरक्षित वन	104	779.906	0.5	0.039
11			डौण्डी	दिघ्वादी	आरक्षित वन	126	731.076	0.5	0.037
12			डौण्डी	चिहरो	आरक्षित वन	105	170.499	0.5	0.008
13			डौण्डी	लिमऊडीह	आरक्षित वन	139	673.569	0.5	0.033
14			डौण्डी	पुतरवाही	आरक्षित वन	110	1120.533	0.5	0.056
15			डौण्डी	रजोलीडीह	आरक्षित वन	134	1342.542	0.5	0.067

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
16	बालोद	बालोद	डौण्डी	रजोलीडीह	आरक्षित वन	135	1881.625	0.5	0.094
17			डौण्डी	रजोलीडीह	आरक्षित वन	136	1041.301	0.5	0.053
18			डौण्डी	उरझे	आरक्षित वन	124	1774.38	0.5	0.088
19			डौण्डी	तुमडीसूर	आरक्षित वन	138	2441.219	0.5	0.122
20			डौण्डी	जबकस	आरक्षित वन	125	1226.948	0.5	0.061
21			डौण्डी	जबकस	आरक्षित वन	127	1574.31	0.5	0.079
22			डौण्डी	गंगोलीडीह	आरक्षित वन	141	483.011	0.5	0.024
23			दल्ली	घोठिया	आरक्षित वन	78	2068.654	0.5	0.104
24			दल्ली	घोठिया	आरक्षित वन	79	3236.933	0.5	0.162
25			दल्ली	बेलोदा	आरक्षित वन	57	1706.531	0.5	0.085
26			दल्ली	बेलोदा	आरक्षित वन	58	783.776	0.5	0.04
27			दल्ली	कोटागांव	आरक्षित वन	151	2563.97	0.5	0.128
28			दल्ली	कुमुड़कट्टा	आरक्षित वन	182	761.785	0.5	0.038
29			दल्ली	मडियाकट्टा	आरक्षित वन	118	193.593	0.5	0.01
30			दल्ली	सिंघोला	आरक्षित वन	54	1739.253	0.5	0.085
31			दल्ली	सिंघोला	आरक्षित वन	83	1168.587	0.5	0.059
32			दल्ली	सिंघोला	आरक्षित वन	85	1764.899	0.5	0.088
33			दल्ली	सिंघोला	आरक्षित वन	86	3580.329	0.5	0.18
34			दल्ली	सिंगनवाही	आरक्षित वन	87	529.452	0.5	0.026
35			दल्ली	सिंगनवाही	आरक्षित वन	88	296.097	0.5	0.015
36			दल्ली	सिंगनवाही	आरक्षित वन	90	119.823	0.5	0.006
37			दल्ली	चिखली	आरक्षित वन	142	4487.639	0.5	0.225
38			दल्ली	चिखली	आरक्षित वन	144	1722.702	0.5	0.086
39			दल्ली	दल्ली	आरक्षित वन	146	98.85	0.5	0.005
40			दल्ली	दल्ली	आरक्षित वन	147	1294.696	0.5	0.065
41			दल्ली	अमबहरा	आरक्षित वन	56	2611.317	0.5	0.131
42			दल्ली	अमबहरा	आरक्षित वन	77	323.649	0.5	0.016
43			लोहारा	झरनटोला	आरक्षित वन	179	1206.665	0.5	0.06
44			लोहारा	माटरी	आरक्षित वन	191	3031.593	0.5	0.15
45			लोहारा	मुड़पार	आरक्षित वन	186	507.381	0.5	0.025
46			लोहारा	चिखली	आरक्षित वन	189	833.738	0.5	0.042
47			लोहारा	तुमड़ीकसा	आरक्षित वन	210	1536.287	0.5	0.077
48			लोहारा	जाटादाह	आरक्षित वन	172	386.252	0.5	0.019
49			लोहारा	टेकापार	आरक्षित वन	214	432.083	0.5	0.022
50			लोहारा	गैजी	आरक्षित वन	176	221.932	0.5	0.011
51			लोहारा	गैजी	आरक्षित वन	177	1500.699	0.5	0.075
52			लोहारा	लोहारा	आरक्षित वन	195	667.806	0.5	0.033
53			लोहारा	लोहारा	आरक्षित वन	200	2351.953	0.5	0.118
आरक्षित वन भूमि का योग							**71997.151**	**0.5**	**3.599**
54	बालोद	बालोद	बालोद	दैहान	संरक्षित वन	P257	1402.991	0.5	0.071
55			डौण्डी	ढोरिठेमा	संरक्षित वन	P267	608.411	0.5	0.03
56			डौण्डी	कोटागांव	संरक्षित वन	P276	155.476	0.5	0.008
57			डौण्डी	चिहरो	संरक्षित वन	P263	744.551	0.5	0.037
58			डौण्डी	तुमडीसूर	संरक्षित वन	P274	1625.851	0.5	0.081

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
59	बालोद	बालोद	डौण्डी	गंगोलीडीह	संरक्षित वन	P278	561.049	0.5	0.028
60			डौण्डी	गंगोलीडीह	संरक्षित वन	P279	156.399	0.5	0.008
61			डौण्डी	गंगोलीडीह	संरक्षित वन	P281	1034.921	0.5	0.052
62			दल्ली	खलारी	संरक्षित वन	P255	445.727	0.5	0.022
63			दल्ली	बेलोदा	संरक्षित वन	P242	193.977	0.5	0.01
64			दल्ली	कोकान	संरक्षित वन	P285	690.587	0.5	0.034
65			दल्ली	कुमुड़कट्टा	संरक्षित वन	P296	937.8	0.5	0.046
66			दल्ली	कुमुड़कट्टा	संरक्षित वन	P297	144.362	0.5	0.007
67			दल्ली	पेंडरी	संरक्षित वन	P264	672.759	0.5	0.034
68			दल्ली	दानीटोला	संरक्षित वन	P293	1377.065	0.5	0.069
69			दल्ली	दानीटोला	संरक्षित वन	P294	598.226	0.5	0.029
70			दल्ली	अड़जाल	संरक्षित वन	P283	2512.966	0.5	0.126
71			लोहारा	रूपटोला	संरक्षित वन	P305	1325.985	0.5	0.067
72			लोहारा	बड़ाजुंगेरा	संरक्षित वन	P303	821.896	0.5	0.041
73			लोहारा	करतूटोला	संरक्षित वन	P 332	633.152	0.5	0.032
74			लोहारा	मंगचुवा	संरक्षित वन	P 334	2575.586	0.5	0.129
75			लोहारा	मंगचुवा	संरक्षित वन	P314	245.143	0.5	0.012
76			लोहारा	माटरी	संरक्षित वन	P307	424.232	0.5	0.021
77			लोहारा	हितापठार	संरक्षित वन	P 301	119.446	0.5	0.006
78			लोहारा	पिपरखार	संरक्षित वन	P 295	55.427	0.5	0.003
79			लोहारा	पिपरखार	संरक्षित वन	P 299	1181.278	0.5	0.059
80			लोहारा	पिपरखार	संरक्षित वन	P298	533.39	0.5	0.027
81			लोहारा	चिखली	संरक्षित वन	P308	1072.174	0.5	0.054
82			लोहारा	रेंगाडबरी	संरक्षित वन	P311	210.783	0.5	0.011
83			लोहारा	रेंगाडबरी	संरक्षित वन	P312	359.441	0.5	0.018
84			लोहारा	जुन्नापानी	संरक्षित वन	P313	695.932	0.5	0.035
85			लोहारा	टेकापार	संरक्षित वन	P 329	369.986	0.5	0.018
			संरक्षित वन भूमि का योग				**24486.969**	**0.5**	**1.225**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	बालोद	बालोद	डौण्डी	बम्हनी	राजस्व वन	63	134.357	0.5	0.007
2			डौण्डी	बम्हनी	राजस्व वन	66	79.649	0.5	0.004
3			डौण्डी	जमही	राजस्व वन	21	35.715	0.5	0.002
4			डौण्डी	जमही	राजस्व वन	63	20.155	0.5	0.001
5			डौण्डी	जमही	राजस्व वन	64/1	237.284	0.5	0.012
6			डौण्डी	खलारी	राजस्व वन	1	140.008	0.5	0.007
7			डौण्डी	खलारी	राजस्व वन	294	53.517	0.5	0.003
8			डौण्डी	बेलोदा	राजस्व वन	574	64.549	0.5	0.003
9			डौण्डी	ढोरिठेमा	राजस्व वन	583	187.873	0.5	0.010
10			डौण्डी	आमाडूला	राजस्व वन	8	189.670	0.5	0.010
11			डौण्डी	चिहरो	राजस्व वन	424	101.890	0.5	0.005
12			डौण्डी	चिहरो	राजस्व वन	480	206.294	0.5	0.010

क्रमशः 4

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
13	बालोद	बालोद	डौण्डी	मरदेल	राजस्व वन	188	16.379	0.5	0.001
14			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	61	14.736	0.5	0.001
15			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	221	24.746	0.5	0.001
16			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	561	93.484	0.5	0.005
17			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	678	54.801	0.5	0.003
18			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	679	100.015	0.5	0.005
19			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	766	43.460	0.5	0.002
20			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	767	13.738	0.5	0.001
21			डौण्डी	कुवागोंदी	राजस्व वन	773	106.263	0.5	0.005
22			डौण्डी	नलकसा	राजस्व वन	241	84.049	0.5	0.004
23			डौण्डी	नलकसा	राजस्व वन	258	46.684	0.5	0.002
24			डौण्डी	नलकसा	राजस्व वन	263	168.253	0.5	0.008
25			डौण्डी	नलकसा	राजस्व वन	267	246.526	0.5	0.012
26			डौण्डी	नलकसा	राजस्व वन	290	56.178	0.5	0.003
27			डौण्डीलोहारा	गंधरी	राजस्व वन	140	21.349	0.5	0.001
28			डौण्डीलोहारा	गंधरी	राजस्व वन	143	381.343	0.5	0.019
29			डौण्डीलोहारा	भिमदो	राजस्व वन	106	137.280	0.5	0.007
30			डौण्डीलोहारा	भिमदो	राजस्व वन	277	44.834	0.5	0.002
31			डौण्डीलोहारा	नलपानी	राजस्व वन	71	79.408	0.5	0.004
32			डौण्डीलोहारा	तुमडीकसा	राजस्व वन	83	63.815	0.5	0.003
33			डौण्डीलोहारा	तुमडीकसा	राजस्व वन	394	15.486	0.5	0.001
34			डौण्डीलोहारा	रेंगाडबरी	राजस्व वन	1108	100.505	0.5	0.005
35			डौण्डीलोहारा	रेंगाडबरी	राजस्व वन	1216	25.229	0.5	0.001
36			डौण्डीलोहारा	रेंगाडबरी	राजस्व वन	1225	146.209	0.5	0.007
37			डौण्डीलोहारा	जुन्नापानी	राजस्व वन	376	159.032	0.5	0.008
38			डौण्डीलोहारा	दल्ली	राजस्व वन	621	30.601	0.5	0.002
39			डौण्डीलोहारा	दल्ली	राजस्व वन	622	202.988	0.5	0.010
40			डौण्डीलोहारा	टेकापार	राजस्व वन	249	68.453	0.5	0.003
41			डौण्डीलोहारा	टेकापार	राजस्व वन	261	23.114	0.5	0.001
42			डौण्डीलोहारा	टेकापार	राजस्व वन	262	45.505	0.5	0.002
43			डौण्डीलोहारा	टेकापार	राजस्व वन	275	122.568	0.5	0.006
44			डौण्डीलोहारा	मुन्धोरी	राजस्व वन	342	44.796	0.5	0.002
45			डौण्डीलोहारा	मुन्धोरी	राजस्व वन	596	13.992	0.5	0.001
46			डौण्डीलोहारा	मुन्धोरी	राजस्व वन	598	12.641	0.5	0.001
47			डौण्डीलोहारा	मुडपार	राजस्व वन	212	16.761	0.5	0.001
48			डौण्डीलोहारा	मुडपार	राजस्व वन	214	233.139	0.5	0.012
49			डौण्डीलोहारा	मुडपार	राजस्व वन	261	129.809	0.5	0.006
50			डौण्डीलोहारा	मुडपार	राजस्व वन	291	378.830	0.5	0.019
			राजस्व वन भूमि का योग				**5017.960**	**0.5**	**0.251**
			कुल योग				**101502.080 (101.502 कि.मी.)**	**0.5**	**5.075**

उक्त 101.502 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौडे वन क्षेत्र कुल 5.075 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.599 हे., संरक्षित वन भूमि 1.225 हे.एवं राजस्व वन भूमि 0.251 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी मे बिना मशीनो का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे

क्रमशः 6

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठा.कमांक / एफ–5–21 / 2020 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग.।
3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)।
4. वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल (छ.ग.)।
5. आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग